



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 742]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 2017/भाद्र 8, 1939

No. 742]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 2017/BHADRA 8, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 1120(अ).— स्टाकहोम कन्वेंशन आन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पाल्यूटेंट (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त कन्वेंशन कहा गया है) 17 मई, 2004 को प्रवृत्त हुआ और भारत ने उक्त कन्वेंशन का अनुसमर्थन 13 जनवरी, 2006 को किया;

और, उक्त कन्वेंशन रसायनों को तीन उपाबंधों में सूचीबद्ध कर सकती है:- उपाबंध 'क' - विशिष्ट छूट के साथ हटाए जाने वाले रसायन; उपाबंध 'ख' - निर्बंधित किए जाने वाले रसायन; और उपाबंध 'ग' - सूचीबद्ध रसायनों का गैरइरादतन छूटने का अल्पीकरण;

और, सात रसायनों अर्थात् :- (i) क्लोरडेकोन (ii) हेक्जाब्रोमोबाइफिनाइल (iii) हेक्जाब्रोमोडाइफिनाइल इथर और हेप्टा-ब्रोमोडाइफिनाइल इथर (कमर्शियल आक्टा- बी डीई) (iv) टेट्राब्रोमोडाइफिनाइल इथर और पेंटा ब्रोमोडाइफिनाइल इथर (कमर्शियल पेंटा-बी डीई) (v) पेटाक्लोरोबेंजीन (vi) हेक्जाब्रोमोसाइक्लोडोडेकेन और (vii) हेक्जाक्लोरोबुटाडाइन को स्टाकहोम कन्वेंशन के उपाबंध 'क' में परसिस्टेंट औरगैनिक पाल्यूटेंट (पी ओ पी) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 13 के उपनियम (2) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के अधीन निम्नलिखित प्रारूप नियम सात रसायनों, अर्थात्:- (i) क्लोरडेकोन (ii) हेक्जाब्रोमोबाइफिनाइल (iii) हेक्जाब्रोमोडाइफिनाइल इथर और हेप्टा-ब्रोमोडाइफिनाइल इथर (कमर्शियल आक्टा- बी डीई) (iv) टेट्राब्रोमोडाइफिनाइल इथर और पेंटा ब्रोमोडाइफिनाइल इथर (कमर्शियल पेंटा-बी डीई) (v) पेटाक्लोरोबेंजीन (vi) हेक्जाब्रोमोसाइक्लोडोडेकेन और (vii) हेक्जाक्लोरोबुटाडाइन के निर्माण, व्यापार, उपयोग, आयात या निर्यात को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का प्रस्ताव करती है और उक्त प्रारूप नियम उससे संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं। और इस के द्वारा सूचना दी जाती है कि;

प्रारूप नियमों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उस तारीख से जिसको इन नियमों वाला राजपत्र की प्रतियां जनसधारण को उपलब्ध करा दी हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

कोई आक्षेप या सुझाव जो किसी व्यक्ति से उक्त नियमों के संबंध में, जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व प्राप्त होते हैं, पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव, परिसंकटमय पर्दाथ प्रबंधन अनुभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, इंदिरा पर्यावरणया भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 या ईमेल riteshkumar.singh@nic.in / m.gangeya@gov.in पर लिखित रूप में भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परसिस्टेंट औरपेनिक पाल्यूटेंट विनियमन नियम 2017 है।
(2) ये नियम, इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् प्रवृत्त होंगे।
2. **रसायनों के निर्माण, आदि पर प्रतिषेध** – निम्नलिखित सात रसायनों का निर्माण, व्यापार, उपयोग, आयात और निर्यात प्रतिषिद्ध होगा, अर्थात्
 - (i) क्लोरडेकोन
 - (ii) हेक्जाब्रोमोबाइफिनाइल
 - (iii) हेक्जाब्रोमोडाइफिनाइल इथर और हेप्टा-ब्रोमोडाइफिनाइल इथर (कमर्शियल आकटा-बीडीई)
 - (iv) टेट्राब्रोमोडाइफिनाइल इथर और पेंटा ब्रोमोडाइफिनाइल (कमर्शियल पेंटा-बीडीई) (v) पेटाक्लोरोबेंजीन
 - (vi) हेक्जाब्रोमोमाइक्लोडोडेकेन और
 - (vii) हेक्जाक्लोरोबुटाडाइन
3. **अधिष्ठाता द्वारा घोषणा** – अधिष्ठाता, नियम 2 में उल्लिखित रसायनों की कुल मात्रा की घोषणा जो उपभोग में है और उनके संचयन में हैं, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को इन नियमों के राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से छः मास के भीतर, करेगा।
स्पष्टीकरण: इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अधिष्ठाता से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो औद्योगिक इकाई के कार्यों पर नियंत्रण रखता है या जहां नियम 2 में उल्लिखित रसायनों को संभाला जाता है और व्यक्ति उक्त रसायनों पर कब्जा रखता है।
4. **अधिष्ठाता द्वारा रसायनों का निष्कासन या निस्सारण नहीं करना** – अधिष्ठाता नियम 2 में उल्लिखित रसायनों का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भूमि पर, सतही जल या बहिष्त्राव उपचार संयंत्र में निष्कासन या निस्सारण नहीं करेगा।
5. **अपशिष्ट निपटान** - नियम 2 में उल्लिखित रसायन युक्त अपशिष्ट का निपटान परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और परासीमा संचलन) नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
6. **वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए रसायनों का उपयोग**- इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियम 2 में उल्लिखित रसायनों का, उपयोग, विक्रय और आयात यथा अपेक्षित, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक परिषद और औद्योगिक शोध प्रयोगशालाओं, सरकारी संस्थानों या अन्य शोध संस्थानों में, मात्रा शोध और विकास कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदन के पश्चात् किया जा सकेगा।

[फा. सं. 22-19/2016-एचएसएमडी]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2017

G.S.R. 1120(E).— Whereas, the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant (hereinafter referred to as the said Convention) came into force on the 17th May, 2004 and India ratified the said Convention on the 13th January, 2006;

And whereas, the said Convention can list chemicals in three annexes: Annex A- chemicals to be eliminated with specific exemptions; Annex B - chemicals to be restricted; and Annex C - minimisation of unintentional releases of listed chemicals;

And whereas, seven chemicals, namely, (i) Chlordecone, (ii) Hexabromobiphenyl, (iii) Hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether (commercial octa-BDE), (iv) Tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether (commercial penta-BDE), (v) Pentachlorobenzene, (vi) Hexabromocyclododecane and (vii) Hexachlorobutadine, have been listed as Persistent Organic Pollutants (POPs) in the Annex 'A' of the Stockholm Convention;

And whereas, the Central Government proposes to make the following draft rules under clause (d) of sub-section (2) of section 6 read with sub-section (1) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (2) of rule 13 of the Environment (Protection) Rules, 1986 so as to regulate the manufacture, trade, use, import and export of the seven chemicals, namely, (i) Chlordecone, (ii) Hexabromobiphenyl, (iii) Hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether (commercial octa-BDE), (iv) Tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether (commercial penta-BDE), (v) Pentachlorobenzene, (vi) Hexabromocyclododecane and (vii) Hexachlorobutadine and the said draft rules are hereby published for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the draft rules will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing these rules are made available to the public;

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the period specified above will be considered by the Central Government.

Objections or suggestions, if any, may be addressed, to the Joint Secretary, Hazardous Substance Management Division, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110 003, in writing or through e-mail at riteshkumar.singh@nic.in/m.gangeya@gov.in.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Regulation of Persistent Organic Pollutants Rules, 2017.
 - (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force one year after the date of their final publication in the Official Gazette.
2. **Prohibition on manufacture, etc. of chemicals.**- The manufacture, trade, use, import and export of the following seven chemicals shall be prohibited, namely:-
 - i). Chlordecone;
 - ii). Hexabromobiphenyl;
 - iii). Hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether (commercial octa-BDE);
 - iv). Tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether (commercial penta-BDE);
 - v). Pentachlorobenzene;
 - vi). Hexabromocyclododecane and
 - vii). Hexachlorobutadine.
3. **Declaration by Occupier.**- The Occupier shall declare, the total quantity of the chemicals mentioned in rule 2, which are in use and their stockpiles, to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, within a period of six months from the date of final publication of these rules in the Official Gazette.

Explanation.- For the purposes of these rules, “Occupier” means a person who has control over the affairs of the industrial unit or the premises where the chemicals mentioned in rule 2 are handled, and the person in possession of the said chemicals.

4. **Occupier not to drain or discharge chemicals.-** The Occupier shall not drain or discharge the chemicals mentioned in rule 2 directly or indirectly on land, in surface water or effluent treatment plant.
5. **Disposal of waste.-** The waste containing chemicals mentioned in rule 2 shall be disposed of as per the provisions of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.
6. **Use of chemicals for scientific purpose.-** Notwithstanding anything contained in these rules, the chemicals mentioned in rule 2 may be used, sold and imported in quantities as required for research and development activities in Central Universities, Council of Scientific and Industrial Research Laboratories, Government Institutions or other Research Institutions after the approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

[F. No. 22-19/2016 -HSMD]

RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL;
Date: 2017.08.31 20:13:17 +05'30'